

अंतिम डिक्री ब मुकदमे इब्लदाई  
( आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )  
( Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रक्षा पारिक, R.A.S.

प्रकरण संख्या:- 2025 / 153 राजस्व वाद

अनवान

1. मैसर्स नवदुर्गा मिनरल्स जरिये भागीदार सोनिया सोनी पुत्री दामोदार जी सोनी जाति सोनी आयु वयस्क निवासी -36 गंगा गली महावत मार्ग शास्त्री सर्कल गिर्वा, उदयपुर।  
..... वादी

बनाम

1. नाहरसिंह पिता गोविन्दा जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी सेमल तहसील देलवाडा जिला राजसमंद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, देलवाडा जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण

वाद - विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट,1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीगण मय अधिवक्ता श्री संदीप सनादय एड. मिनजानिब मुदई व ..... मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि:-

वादी का विभाजन का वाद स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम सेमल, पटवार हल्का सेमल, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या नया 291 पुराना 276 में वर्णित आराजीयात् में से आराजी संख्या 9,10,11,12/2,13 कुल किता 5 कुल रकबा 2.3375 हैक्टेयर भूमि मैसर्स नवदुर्गा मिनरल्स खातेदार, आराजी संख्या 12/1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0147 हैक्टेयर भूमि नाहरसिंह पुत्र गोविंदा जाति राजपूत सा.देह खातेदार हिस्सा अलग-अलग खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा। नीज.....-..... मुबलिज -.....-..... बाबत् -.....-... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर -.....-.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक -.....-... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.07.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।



18

( रक्षा पारिक, RAS )

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा  
सहायक कलक्टर  
नाथद्वारा, जिला-राजसमंद